में जारी हुए

19/3/2021 पत्रावली अधिवक्ता उभय पक्ष द्वारा प्रकरण मे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से पक्षकारान के सहमत होने बाबत् प्रार्थना पत्र एवं प्रकरण का निस्तारण आज ही कराने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर। विगहे से तलब करने पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र शामिल मिसल किए जावे। अधिवक्ता उभय पक्ष ने निवेदन किया कि प्रकरण मे प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वादीगण एवं प्रतिवादी पूर्ण रूप से सहमत है, अतः प्रकरण मे विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी की जाकर प्रकरण निस्तारित कराना फरमावें।

(मनोहर)

2019/00547A हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अधिवक्ता उभय पक्ष पर गहनता से मनन किया। प्रकरण मे ग्राम बस्सी की आराजी संख्या 1533, 1534 कीता 2 रकबा 0.3600 हे० का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य उनके हक हिस्सेनुसार मौका पर कब्जे की स्थिति को ध्यान मे रखते हुए अलग-अलग खाते कायम किए जाने बाबत् प्राथमिक डिक्री दिनांक 28/9/2020 को जारी की जाकर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए पत्रांक 1715 दिनांक 22/12/2020 से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जेरबहस आराजी नम्बर 1533 रकबा 0.30 हे० का पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति का बटवारा कर लिया जिसका अमल जरिए नामा० संख्या 2636 दिनांक 09/5/2020 से हो चुका है एवं आ०नं० 1534 रकबा 0.06 हे० का बंटवारा पक्षकारान मे विवाद के कारण नही हो पाया।

......लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.01 18:06:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिनांक 22/01/2021 को आराजी संख्या 1434 रकबा 0.06 हे० का बंटवारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 28/9/2020 मे प्रदत्त निर्देशानुसार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को पुन: निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिए पत्रांक/331 दिनांक 09/3/2021 से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किए गए। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से वादीगण एवं प्रतिवादी ने सहमति व्यक्त कर अन्तिम डिक्री जारी किए जाने बाबत निवेदन किया है। अत: वादीगण का वाद पत्र प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विभाजन का निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम खातेदार	आ० नं०	रकबा	किस्म	भू० राजस्व
1.	मनोहरलाल पिता देवीलाल खटीक सा० देह खाते०	1434 मेल दक्षिणी भाग	0.02	जाव2	0.2280
	कीता	1	0.02		0.2280
2	चन्दुदेवी पत्नी गोपीलाल बैरवा सा० सोनगरों की खेड़ी खाते०	1434 मेल उत्तरी भाग	0.02	जाव2	0.2280
	कीता	1	0.02	जाव2	0.2280
3	नितिन कुमार पिता चिरंजीलाल बैरवा सा० चित्तौड़गढ़ खाते०	1434 मेल मध्य भाग	0.02	जाव2	0.2280
	कीता	1	0.02	जाव2	0.2280

2019
00547B

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्राप्त नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से ...।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ — सत्यमेव जयते — जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2021.04.01 18:06:21 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)